भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3728
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

वरिष्ठ नागरिकों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण

3728. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी के लोगों जैसे ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों और अन्य लोगों के बीच प्रतिभा को निखारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण / व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

पीएमकेवीवाई के तहत पात्र आयु समूह अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में 15-45 वर्ष और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक में 18-59 वर्ष है। उल्लेखनीय रूप से, भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय (डीआईएवी) सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को आरपीएल-आधारित प्रमाणन में शामिल करता है, जिससे सिविलयन रोजगार में बदलाव की सुविधा मिलती है। जेएसएस के तहत, पात्र आयु-समूह 15-45 वर्ष है, जिसमें "दिव्यांगजन" और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु छूट है।

(ग) कौशल विकास मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आवास और भोजन तथा यातायात लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स (सीसीएन) में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित किए गए हैं। साथ ही, परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजना से भाग लेने और लाभान्वित होने के अवसर मिलते हैं। जेएसएस योजना के तहत, आयु में छूट देकर महिलाओं और अन्य निर्बल वर्गों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद, जिसे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा आवार्डिंग निकायों (एबी) के रूप में मान्यता प्राप्त है, ने वाक् एवं श्रवण दोष (एसएचआई), लोकोमोटिव दिव्यांगता (एलडी), बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी), इत्यादि जैसे विभिन्न दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 268 अर्हताएं विकसित की/अपनाई हैं। समावेशी कौशल इकोसिस्टम का और अधिक समर्थन

करने के लिए, एनसीवीईटी ने "दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुलभता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश" विकसित और अधिसूचित किए हैं, जो भारत में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने और समान अवसरों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा, सीटीएस के अंतर्गत दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. आईटीआई/एनएसटीआई में प्रवेश लेने के लिए दिव्यांग प्रशिक्षुओं से कोई शिक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी।

2. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए इंजीनियरिंग ट्रेडों में 'इंजीनियरिंग ड्राइंग' के स्थान पर एक विशेष विषय अर्थात् "साइको-मोटर स्किल" की पढ़ाई कराई जाएगी।

3. बेंचमार्क दिव्यांगता की पांच (5) श्रेणियों के लिए पीडब्ल्यूडी कोटा के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) हेतु दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) को लागू कर रहा है। कम से कम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनके पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, वे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी ने पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो नियोक्ताओं/जॉब एग्रीगेटर्स को एक मंच प्रदान करके दिव्यांगजनों की कौशल और रोजगार की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

इसके अलावा, अम्ब्रेला योजना, आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई) की उप-योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के तहत, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

*****